

नगर पालिका, सांभर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्वर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SAMBHAR/FIRENOC/2023-24/18002
जारी दिनांक: 14-JUN-2023

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: GHANSHYAM DAS AGARWAL
आवेदक का पता: B-23, GOVIND DEV COLONY GANGAURI BAZAR JAIPUR


विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाल

आपके भवन NIKUNJ PUBLIC SCHOOL, 0, EROLAV PHULERA ROAD, PHULERA ROAD, SAMBHAR, JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पावंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तों:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्दीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति रखते निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिविल इंजीनियरिंग गार्डर को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपलियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि इथिति में यह अभिशंखा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पाली के टैक हर समय भरे रखने होंगे व पर्म व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील रिचिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम री करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अविवार्य होगा।
- फायर वाहन आरामी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवश्य रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक रख्यां उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी
उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था
नगर पालिका सांभर लेक

NIKUNJ EDUCATIONAL INSTITUTE

Chairman